

फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

बनाम राम प्रसाद कजोड़ी

मुकदमा- दावा

मु0नं0-36 /2025

मुख्य हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/25	<p>दावा वादी अधिवक्ता श्री <u>गोविन्द शर्मा</u> द्वारा पेश किया गया। दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की रजिस्टर्ड तलबी की जावे। पत्रावली वास्ते रजिस्टर्ड तामील प्रतिवादीगण हेतु दिनांक <u>30/05/2025</u> को पेश हो।</p> <p><del>उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा</del></p> <p>30/5/25 पत्रावली पेश। वकील वादी अजुग परेकी हेतु खुले न्यायालय में बार-बार आवाज लगाई गई लेकिन कोई भी एजिड नहीं आया। अतः पत्रावली अफम परेकी अफम एजिडरी में खारिज की जाती है।</p> <p><del>उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा</del></p>	